


08/8/2024

C.No. 344/2020 काल/ हरिद्वारा

Not pass.

पत्रावली पैत्र हूँ वकील द्वारा उपस्थित प्रार्थिया  
 उप वकील प्रार्थि ने उपस्थित होकर मित्रेदन किया  
 कि वे अब जेण्डर को आगे नहीं चलाना चाहते  
 हैं तथा उनके द्वारा आदेशिका पर Not press  
 का अंकन किया गया सहमति में प्रार्थिया श्रमण  
 हस्ताक्षर अंकित किए गए। हमारे द्वारा वकील प्रार्थि  
 को सुना गया अतः प्रार्थिया का जेण्डर इसी स्तर  
 पर Not press में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 प्रामल भुमार होकर नम्बर के कम हो पत्रावली  
 प्रामल दाखिल है।

सीता  
 9012/1/2024  
 (सुनवाई हेतु है)

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अरांडी (अजमेर)

